

पत्र संख्या-418/रा0नि0आ0-2/989/2009

दिनांक 18.06.2010

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-416/रा0नि0आ0-2/989/2009 दिनांक 18.06.2010 एवं अधिसूचना संख्या-417/रा0नि0आ0-2/989/2009 दिनांक 18.06.2010 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित जनपदों की उन ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत, जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे हैं के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावित की जाती है।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-418(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/989/2009 तददिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 6- सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।